प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय,

दिनांक–05.09.2023 (सं0–393)

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा मादक द्रव्य/मनोत्तेजक पदार्थ की तस्करी, दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध कृत कार्रवाई

आर्थिक अपराध इकाई राज्य में मादक द्रव्य/मनोत्तेजक पदार्थ की तस्करी, दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार पर प्रभावी रोक–थाम लगाने हेतु बिहार पुलिस की नोडल एजेंसी एवं विशिष्ट इकाई है।

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के अधीन एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti Narcotics Task Force) का गठन मादक द्रव्य/मनोत्तेजक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध आसूचना संकलन, छापामारी, प्रभावी कार्रवाई, तस्करों द्वारा अर्जित अपराध जनित परिसम्पत्तियों के समपहरण, जागरुकता फैलाने एवं अन्य केन्द्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया है।

1.बरामदगी एवं कार्रवाई :–

- आर्थिक अपराध इकाई की पहल पर वर्ष **2023** में अबतक बिहार पुलिस द्वारा राज्य में कुल **4988.585** कि0ग्रा0 गांजा, **72.699** कि0ग्रा0 चरस, **14.01** कि0ग्रा0 हेरोइन/स्मैक/ब्राउन सुगर, **18.6** कि0ग्रा0 अफीम, **14069** कि0ग्रा0 डोडा, **6680** पीस इंजेक्शन, **187993** बोतल कोडिन बेस्ड सिरप एवं **188511** पीस टैबलेट की बरामगदी की गई है। इस संदर्भ में 822 अभियुक्तों के विरूद्ध 562 काण्ड दर्ज किये गये है।

Year	Number of cases	Number of arresting	Seized narcotic drugs and psychotropic substances						
			Ganja (In Kg)	Charas (In Kg)	Heroin /Smack / Brown Sugar (In Kg)	Opium (In Kg)	Injection (in no)	CBS (in B0ttle)	Tablet (in no)
2023	562	822	4988.585	72.699	14.01	Opium - 18.6 Kg Doda- 14069 kg	6680	187993	188511

- **अफीम विनष्टीकरण**

- आर्थिक अपराध इकाई की पहल पर राज्य के गया जिला अंतर्गत बाराचट्टी, धनगई, सोहैल में वर्ष 2022–23 में जहां **1289.60** एकड़ में लगे अफीम की अवैध खेती का विनष्टीकरण किया गया है, वहीं वर्ष 2021–22 में करीब 620.59 एकड़ में लगे अफीम की अवैध खेती का विनष्टीकरण किया गया था ।

- **ANTF**

- दिनांकः–13.02.2023 को फतुहा नदी थानाक्षेत्र (पटना जिला) के मौजीपुर से मादक पदार्थो के तस्कर दिलीप साव पे0– हरिशरण चौधरी को गिरफ्तार किया गया। इस छापामारी में ANTF,NCB,STF एवं स्थानीय पुलिस शामिल थे। दिलीप साव एन0सी0बी0, पटना 01/17 जिसमें 3284 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था तथा एन0सी0बी0, पटना काण्ड संख्या–6/17 जिसमें 2906 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था तथा एन0सी0बी0 राँची काण्ड संख्या–1/19 जिसमें 420 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, में वांछित थे। दिलीप साव PIT NDPS Act-1988 के तहत भी आरोपित है।

- दिनांक–04.02.2023 को वैशाली जिला के राघोपुर एवं बिदूपुर थाना क्षेत्र में छापामारी कर दो पेशेवर वांछित अपराधी (1) राजा राम राय, पे0 सिवालक राय, ग्राम–जेठुली, कच्ची दरगाह, फतुहा, पटना एवं (2) बैद्यनाथ राय, पे0 बनवारी राय, ग्राम जगदीशपुर, इन्द्रकराई, बरारी, पोस्ट मोहनपुर, थाना राधोपुर, जिला–वैशाली को गिरफ्तार किया गया। इस छापामारी में ANTF, NCB, STF एवं स्थानीय पुलिस शामिल थे।

  राजा राम राय, एन0सी0बी0 राँची काण्ड संख्या–5/21 जिसमें 1050 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया थां तथा एन0सी0बी0, पटना काण्ड संख्या–21/22 जिसमें 1459.200 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, में वांछित अपराधी थे। राजा राम राय PIT NDPS Act-1988 के तहत भी आरोपित है। बैद्यनाथ राय, एन0सी0बी0, पटना काण्ड संख्या–7/19 जिसमें 750 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, में वांछित अपराधी थे।
- दिनांक–28.02.2023 को ANTF टीम द्वारा उड़ीसा से गांजा तस्करी कर परिवहन के क्रम में GRP आरा थाना क्षेत्र में हावडा–अमृतसर ट्रेन से 09 कि0ग्रा0 गांजा बरामद किया गया तथा 05 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक–19.02.2023 को गुप्त सुचना के आलोक में पटना जिला के जानीपुर थाना क्षेत्र से .42 ग्राम चरस/Amphetamines बरामद किया गया।
- दिनांक–13.07.2023 को ANTथ द्वारा गूप्त सूचना के आधार पर अन्तर्राज्यीय तस्करों को नागालैण्ड से तस्करी कर अवैध गांजा को भोजपुर में सप्लाई करने के क्रम में सराय थाना क्षेत्र वैशाली जिला अंतर्गत पकड़ा गया। इसमे शामिल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 104 कि0ग्रा0 गांजा बरामद किया गया।
- दिनांक–21.08.2023 को ANTF को प्राप्त गूप्त सुचना पर रोहतास जिला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 03 अंतर्राज्यीय तस्करों को 30 कि0ग्रा0 गांजा परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। उनसे 2,50,000 रू0 नगद एवं 01 होण्डा सिटी कार बरामद किया गया।

  ANTF द्वारा अबतक 15 अन्तर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर 143 कि0ग्रा0 गांजा एवं 42 ग्राम चरस/Amphetamines बरामद किया गया।

• विचारण पूर्व निष्पादन (pre-trial disposal)

- राज्य में जब्त गांजा का विचारण पूर्व विनष्टीकरण करते हुए अबतक 148 काण्डों (आ0अप0ई0 के 12 काण्ड सहित) में जब्त 7,661.092 कि0ग्रा0 गांजा (आ0अप0ई0 के 4,911.538 कि0ग्रा0 गांजा सहित) एवं हेरोईन–190 ग्राम विचारण पूर्व विनष्टीकृत कराया गया है।
- गांजा की तस्करी में जब्त 06 वाहनों का विचारण पूर्व निष्पादन (निलामी) कराया गया ।
- जप्त मादक पदार्थों के सुरक्षित रख–रखाव हेतु सभी जिलों में कुल–46 डब्ल लॉक सेफ स्टोरेज dedicated godown का निर्माण कराया गया है ।

2.प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन

- एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के काण्डों के गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान में सुगमता हेतु राज्य के पुलिस पदाधिकारियों के लिए मानक संचालन प्रकिया (SOP) एवं प्रशिक्षण वीडियो तैयार कर सभी जिलों को उपलब्ध कराया गया है ।
- पुलिस पदाधिकारियों के गुणवर्त्तापूर्ण अनुसंधान करने के लिए Narcotics Control Bureau के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ।
- NDPS Act से संबंधित "Search, Seizure, investigation, trial, conviction and bail matters" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वर्ष 2023 में अबतक 278 सीधी नियुक्ति के पुलिस अवर निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्रित अभियुक्तों की दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) पर पड़ेगा ।

3.जागरुकता

- मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थों के दुरुपयोग से आमलोगों को जागरुक करने की दिशा में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 26 जून को प्रत्येक वर्ष 'मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह' का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
- नशा के विरुद्ध जन–जागृति के लिए राज्य के प्रमुख स्थानों पर बैनर, पोस्टर आदि का प्रदर्शन किया जाता है।

4.सम्पत्ति समपहरण

- 10 गांजा तस्करों द्वारा अर्जित करीब 21.47 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध जनित परिसम्पत्तियों को समपहृत करने हेतु पी0एम0एल0ए0, 2002 के तहत प्रस्ताव समर्पित किया गया है।
- प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा 01 मामले में 41 लाख रुपये की अपराध जनित परिसम्पत्तियां समपहृत की जा चुकी है।
- शेष प्रक्रियाधीन है।

5. स्टेकहोल्डर्स के साथ समन्वय एवं बैठक

- आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी/दुरुपयोग की रोक–थाम की दिशा में प्रभावकारी कार्रवाई को और अधिक द्रुत गति प्रदान करने एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य की एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाने हेतु उच्च स्तरीय Intelligence Sharing बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें केन्द्र की एजेंसी–एन0सी0बी0, एस0आई0बी0 R&AW सी0आर0पी0एफ0, एस0एस0बी0 एवं राज्य की एजेंसी–विशेष शाखा, रेल पुलिस, समाज कल्याण विभाग, औषधि नियंत्रक, बिहार पुलिस के फील्ड ऑफिसर्स व अन्य पदाधिकारियों भाग लेते है।

XXXXXXX